संख्या-3/2018/2701/सैंतीस-2-2017-1(53)/02

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-11 जनवरी, 2018

विषयः- **राज्य में पशुधन संख्या एवं विभिन्न पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन के जनपदवार अनुमान प्राप्त करने की सर्वेक्षण योजना (50 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वितीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1895-97/15(10) संख्या अनुभाग-2/2017-18, दि0-15.12.2017 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-42/2017/875/सैंतीस-2-2017-1(53)/02, दिनांक-14.06.2017 व शासनादेश संख्या-97/2017/1909/सैंतीस-2-2017-1(53)/02, दिनांक-16.11.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वितीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध सांख्यिकी अध्ययन तथा शोध कार्य (के.50/रा.50-के.+रा.) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पुनर्वेधीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में रू0-4.87 लाख (रूपये चार लाख सत्तासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	4.36
04-यात्रा व्यय	0.17
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.32
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.02
योग-	**4.87**

(रूपये चार लाख सत्तासी हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध केन्द्रांश की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार संबंधित जनपदीय आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इसका व्यय नई मदों में न किया जाय।

(4) मानक मद 04 में आवंटित धनराशि का विनियमन इस प्रकार किया जाय जिससे यात्रा भत्ता बीजकों का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।

(5) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध सांख्यिकी अध्ययन तथा शोध कार्य (के.50/रा.50-के.+रा.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-3/2018/2701(1)/सैंतीस-2-2017- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मँत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in